प्रेस नोट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर दिनांक 08.05.2023

चोरी करने के आरोप मे अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का ई-रिक्शा बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,जनपद गोरखपुर द्वारा "अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी" के संबंध में चलाये जा रहे अभियान व चोरी की घटनाओं के खुलासे हेतु दिये गये निर्देश के क्रम पुलिस अधीक्षक नगर जनपद गोरखपुर व क्षेत्राधिकारी कैण्ट गोरखपुर के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक थाना कैण्ट के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 धीरेन्द्र कुमार राय चौकी प्रभारी जटेपुर मय टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 358/2023 धारा 379 भादवि से संबंधित अभियुक्त रोहित यादव पुत्र भोला प्रसाद निवासी 310 सी बौलिया रेलवे कालोनी थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर मूल-पता सेमरा नं0 02 टोला बेला पब्लिक स्कूल के पास थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया, बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की बढ़ोतरी की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना/पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त द्वारा बताया गया कि पुलिस लाइन तिराहे के निकट शराब की दुकान के पास से एक ई-रिक्शा को चुरा लिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

रोहित यादव पुत्र भोला प्रसाद निवासी 310 सी बौलिया रेलवे कालोनी थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर मूल-पता सेमरा नं0 02 टोला बेला पब्लिक स्कूल के पास थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0- 358/23 धारा 379 भादवि0 व बढ़ोतरी धारा 411,भादवि थाना कैंट जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

चोरी की एक अदद ई-रिक्शा

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 धीरेन्द्र कुमार राय चौकी प्रभारी जटेपुर थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. कां0 संजीत यादव थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. कां0 संदीप कुमार थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
4. कां0 चन्द्राकर यादव थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर